

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर, जिला श्री गंग

अनवान वलजीत रामा बनाम वलजीत रामा आदि

प्रकरण संख्या 33 / 2019 अन्तर्गत धारा 213 RJA

| दिनांक | आदेश या कार्यवाही मय हस्ताक्षर जज   | नम्बर ए जो इस पालना |
|--------|---|---------------------|
| 4/20   | <p>जान गहन पत्रावली प्राची अधिवक्ता के द्वारा मूलवाद में प्राचीन पत्र पेश करने पर पैरी में ली गई मूलवाद में वादी व प्रतिवादी के द्वारा राजीनामा पेश किया गया। पत्रावली वास्ते <del>सभी</del> उचित आदेश दिनांक 11/02/2020 को पेश हो</p>  |                     |
| 11/20  | <p>अधिवक्तागण उपस्थित। मूलवाद में वादी का प्रतिवादी से राजीनामा होने पर वादी का वादपत्र राजीनामा के आधार पर स्वीकार किया जा चुका है। अब इस पत्रावली में कोई काप्रवाही अपेक्षित नहीं है। प्राची का प्राचीन पत्र इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। पत्रावली में जारी दिनांक 13/06/2019 की अस्थायी विवेचना निरस्त की जाती है। पत्रावली निर्णित होकर नम्बर से कम हो</p> |                     |



(मूलचन्द लुगिया)  
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)  
श्रीकरणपुर

